वार्षिक रिपोर्ट
एवं
वार्षिक लेखा

2019-20

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वैबसाइट: www.ncrpb.nic.in

विषय-सूची

क्र. सं	विवरण	पृष्ठ सं.
I	औचित्य	1
II	बोर्ड का गठन और सदस्यता	1
III	कार्य	2
IV	शक्तियाँ	2
V	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र	3
VI	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र	4
VII	योजना समिति - गठन एवं कार्य	5
VIII	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना - 2021	6
IX	सिन्हावलोकन का वर्ष - 2019-20	8
	क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन	9
	i. परिवहन क्षेत्र में प्रमुख पहल	9
	पारस्परिक साझा परिवहन करार	9
	एनसीआर में अंतरराज्यीय संपर्क सड़कें / लिंकेज	10
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्बद्ध्ता	12
	क) सड़क नेटवर्क	12
	ख) रेल नेटवर्क	13
	i) क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली	13
	ii) दिल्ली एवं मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एमआरटीएस	13
	ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा	14
	iii. एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 में परिशिष्ट	14
	iv. एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2041 की तैयारी	14
	v. एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 के अंतर्गत उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी	15
	vi. एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी	16
	vii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का परिसीमन	16
	viii. एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 के कार्यान्वयन की निगरानी	16
	ख) बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ	17
	अनुबंध I : रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा ऋण सहायता प्राप्त प्रक्रियाधीन अवसंरचना परियोजनाओं की सूची	20
	ग) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण	35
	घ) i) वित्तीय संसाधन	40
	ii) संसाधन संग्रहण	41
	iii) लेखों का लेखा परीक्षण	42
	च) प्रशासन एवं सतर्कता	42
	i) प्रशासन	42
	ii) सतर्कता	43
	iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)	43
	iv) संगठनात्मक संरचना	44-45

औचित्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके ।

II. बोर्ड का गठन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या के-11019/3/2012-डीडीVI दिनाँक 22.11.2017 के अनुसार बोर्ड के वर्तमान गठन का ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य	अध्यक्ष
2.	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
3.	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
4.	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
6.	मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
9.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
10.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
14.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
15.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार	सदस्य
16.	प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
17.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

सहयोगित सदस्य:

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार

III. कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है:

(क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजना तैयार करना;

(ख) भाग लेने वाले राज्यों मे से प्रत्येक द्वारा और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान तैयार किए जाने की व्यवस्था करना;

(ग) भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना प्लानों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उपक्षेत्रों में परियोजनाएँ बनाने, पूर्विकताएँ अवधारित करने और क्षेत्रीय योजना में उपदर्शित प्रक्रमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का समंजन करने की बाबत भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उचित और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनी गई विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था करना और उनका पर्यवेक्षण करना।

IV. शक्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित है:

(क) प्रकार्य योजनाओं और उपक्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने, उनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन की बाबत, भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र से रिपोर्ट और जानकारी मंगाना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, यथास्थिति, प्रकार्य योजना और उपक्षेत्रीय योजना की तैयारी, प्रवर्तन और कार्यान्वयन क्षेत्रीय योजना के अनुरूप है;

(ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रम उपदर्शित करना;

(घ) क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजना, उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना;

(ङ) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करना, पूर्विकता विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो बोर्ड ठीक समझे;

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर, किसी ऐसे नगर क्षेत्र का, जिसका उसकी अवस्थिति, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से विकास किया जा सके, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, चयन करना;

(छ) समिति को ऐसे अन्य प्रकार्य सौंपना, जो वह इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

V. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक क्षेत्र

जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची {धारा 2 (एफ)} में एवं तत्पश्चात, 14.03.1986 और 23.08.2004 (अलवर जिले के शेष हिस्से को शामिल करने के लिए) की अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 34,144 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है जो कि चार राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है। उपर्युक्त क्षेत्र के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था।

इसके पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ नए क्षेत्रों/ज़िलो का सम्मिलन किया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

हरियाणा राज्य के भिवानी और महेंद्रगढ़ ज़िले तथा राजस्थान का भरतपुर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 1.10.2013 की अधिसूचना के द्वारा
हरियाणा राज्य के जींद एवं करनाल ज़िले तथा उत्तर प्रदेश का मुज़फ्फरनगर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना के द्वारा
उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 16.04.2018 की अधिसूचना के द्वारा

इन अधिसूचनाओं एवं अनुमोदनों के पश्चात, एनसीआर का क्षेत्र करीब 55,083 वर्ग किमी है जिसकी जनसंख्या लगभग 581.5 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) है। उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्नलिखित है:

उप क्षेत्र	**जिलों के नाम**	**क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)**	**जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या (लाख में)**
हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गाँव, नुह (भूतपूर्व मेवात), रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्झर, पानीपत, पलवल, भिवानी (चरखी दादरी सहित), महेंद्रगढ़, जींद और करनाल	25,327	164.3
उत्तर प्रदेश	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुज़फ्फरनगर और शामली	14,826	187.1
राजस्थान	अलवर और भरतपुर	13,447	62.2
दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1,483	167.9
	कुल	**55,083**	**581.5**

VI. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर कोई भी क्षेत्र, उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चुन सकता है ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नौ काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र है, जो इस प्रकार हैं:

i. हरियाणा में हिसार
ii. हरियाणा में अम्बाला
iii. उत्तर प्रदेश में बरेली
iv. उत्तर प्रदेश में कानपुर
v. राजस्थान में कोटा
vi. राजस्थान में जयपुर
vii. मध्य प्रदेश में ग्वालियर
viii. पंजाब में पटियाला
ix. उत्तराखंड में देहरादून

क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की परिकल्पना दो अलग परंतु परस्पर पूरक भूमिकाओं के लिए की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क. "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह के अवरोधक के तौर पर, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास आस पास के कम विकसित क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित करेगा; और

ख. क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनाओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहकरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा" ।

VII. योजना समिति

(क) गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। इस योजना समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य

5	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(ख) सहयोजित सदस्य

I. वरिष्ठ सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)
II. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवासन और शहरी विकास निगम
III. संयुक्त सचिव (यू.टी.), वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
IV. संयुक्त सचिव (आई.ए.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
V. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(ग) योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

9 (1) समिति के कार्य:

(क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजनाओं को तैयार करने में और उनके समन्वित कार्यान्वयन में; और

(ख) उपक्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजना प्लानों की यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं जांच करने मे बोर्ड की सहायता करना होगा।

(2) समिति किसी उपक्षेत्रीय योजना या किसी परियोजना प्लान की संशोधित या उपांतरित करने के लिए बोर्ड से ऐसी सिफारिश कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(3) समिति ऐसे अन्य कार्यों को अंजाम देगी जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

VIII. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2021 तक के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय योजना तैयार की जिसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय योजना-2021 में अच्छी कृषि भूमि को बचाने और परिरक्षित करने, संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरणिक रूप से परिरक्षित करने और भूमि प्रयोग व्यवस्था (सेटलमेंट) पद्धतियों, परिवहन, बिजली और पानी, सामाजिक अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, धरोहर और पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से परस्पर संबंधित नीतिगत ढ़ाँचे को निर्धारित करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने और भू-उपयोग के विवेकपूर्ण पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के सतत विकास हेतु एक बेजोड़ मॉडल व्यवस्था है।

इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक वैश्विक उत्कृष्टता के क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है तथा (क) दिल्ली के आर्थिक विकास के आवेग को समाने में सक्षम प्रादेशिक बस्तियों की पहचान और विकास के द्वारा भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया करने; (ख) पहचान की गई ऐसी बस्तियों में संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु मदद करने के लिए भू-उपयोग पैटर्नों के साथ पूर्णतः एकीकृत, कारगर और सस्ता रेल तथा सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (व्यापक परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करने; (ग) प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूतम करने; (घ) चुनिंदा शहरी बस्तियों को दिल्ली के समान परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज तथा जल निकासी जैसी शहरी बुनियादी सुविधाओं समेत विकसित करने; (ङ) युक्तिसंगत भू-उपयोग ढाँचा मुहैया करने और (च) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में, सभी उप क्षेत्रों के लिए आबादी का अनुमान वर्ष 2021 के लिए लगाया था। क्षेत्रीय योजना-2021 में वर्ष 2011 के लिए उपक्षेत्रवार अनुमानित आबादी तथा जनगणना 2011 के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना इस प्रकार है:-

(लाख में)

क्रम सं.	उप क्षेत्र	क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार जनसंख्या	नए शामिल ज़िलों सहित जनसंख्या
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली	138.50	167.9
2	हरियाणा उप क्षेत्र	86.8	164.3
3	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	115.7	187.1
4	राजस्थान उप क्षेत्र	29.9	62.2
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	**371.0**	**581.5**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

- प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों समेत प्राकृतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच (एनआरएससी, हैदराबाद से प्राप्त उपग्रह चित्रों समेत) से उभरे सुसंगत पैटर्न के अनुसार प्रादेशिक स्तर पर युक्तिसंगत भू-उपयोग निर्धारित करना।
- आर्थिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों का सशक्त विकास केंद्रकों के रूप में विकास।
- क्षेत्रीय परिवहन संपर्क लिंक और व्यापक यात्री प्रणाली प्रदान करना।
- दिल्ली के चारों ओर परिधीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेस मार्गो और परिक्रमीय (आरबिटल) रेल गलियारे का निर्माण।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूलभूत शहरी बुनियादी सुविधाओं (परिवहन, विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी) का विकास।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर आदर्श औद्यौगिक एस्टेटों, विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में मेट्रो केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय गांवों और मूल गांवों को शामिल करते हुए एक छ:स्तरीय बस्ती पद्वति का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय योजना-2021 में निम्नलिखित के अनुसार 7 मेट्रो केन्द्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर/कॉम्प्लेक्स) तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों (3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर/ कॉम्प्लेक्स) का निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

I	**मेट्रो केन्द्र**
1	फरीदाबाद-बल्लभगढ़
2	गुडगाँव-मानेसर
3	गाजियाबाद-लोनी
4	नोएडा
5	सोनीपत-कुंडली
6	ग्रेटर नोएडा
7	मेरठ

II	**क्षेत्रीय केन्द्र**
1	बहादुरगढ़
2	पानीपत
3	रोहतक
4	पलवल
5	रेवाडी-धारूहेड़ा-बावल
6	हापुड़-पिलखुआ
7	बुलंदशहर-खुर्जा

8	बागपत-बड़ौत
9	अलवर
10	ग्रेटर भिवाड़ी
11	शाहजहाँपुर-नीमराणा-बेहरोड़

क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों को एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा उनके संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाओं और महायोजना/विकास योजना इत्यादि जैसी विभिन्न पदानुक्रम योजनाओं द्वारा विस्तारित किया जाना है। क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

इसके अलावा, ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसे भौतिक आधारभूत संरचना की गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि के लिए एनसीआर प्रतिभागी राज्यों की संबंधित एजेंसियों द्वारा नए और अभिनव दृष्टिकोणों को अपनाया जाना आवश्यक है। भूजल पुनर्भरण और जल संचयन को भवन निर्माण उपनियमों में एकीकृत करने की आवश्यकता है और एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा जल पुनर्भराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए विभिन्न नगर नियोजन/शहरी विकास/शहरी सुधार अधिनियमों में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। क्षेत्रीय योजना-2021 ने एनसीआर के तीव्र शहरीकरण के परिणामस्वरूप जल, वन और जैव विविधता जैसे घटते प्राकृतिक संसाधनों के लिए चिंता जताई है।

IX. सिंहावलोकन का वर्ष: 2019-2020

वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन

क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एनसीआरयो.बो. ने एनसीआर की संघटक राज्य सरकारों/एजेंसियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के द्वारा विभिन्न पहल/कार्रवाइयां की हैं।

i. परिवहन क्षेत्र में मुख्य पहलें

पारस्परिक साझा परिवहन करार:

सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर प्रतिभागी राज्यों की परिवहन सचिवों / आयुक्तों की एक समिति का गठन किया गया था जो वाहनों के अंतरराज्यिक आवागमन के सभी पक्षों से संबंधित कार्य देखती है और एनसीआर के सभी

संघटक क्षेत्रों के लिए बहुपक्षीय करारों के साझा स्वरूप पर विचार करती है| जिन पर एनसीआर में वाहनों के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाने के लिए एनसीआर के संघटक राज्य हस्ताक्षर कर सकते हैं|

हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच दो पारस्परिक समान परिवहन करारों (आरसीटीए) पर हस्ताक्षर हुए| 'अनुबंध कैरेज' के लिए एक करार पर 14.10.2008 को हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने वाले, एनसीआर में विद्यमान यूरो मानदंडों का अनुपालन करने वाले और एनसीआर में पंजीकृत सभी अनुबंध कैरेज वाहनों को एनसीआर में अबाधित आवागमन की अनुमति होगी| स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) पर चलने वाले स्टेज कैरेज वाहनों (एनसीआर से आरंभ होने वाले और एनसीआर में समाप्त होने वाले) के लिए अनुमति प्रदान करने वाले दूसरे करार पर 22.04.2010 को हस्ताक्षर हुए| दोनों करारों को एनसीआर के संघटक राज्यों द्वारा अधिसूचित किया गया है|

'अनुबंध कैरेज' दस वर्षों के लिए वैध था (अर्थात 13.10.2018 तक)| सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर रही जनता को असुविधा से बचाने के लिए सदस्य सचिव एनसीआरपीबी एवं अध्यक्ष, सीओटीएस ने 13.10.2018 के बाद और छह महीने के लिए (अर्थात 13.04.2019 तक) दिनांक 16.10.2018 को आदेश जारी किए| तदुपरांत नए प्रारूप आरसीटीए (अनुबंध कैरेज) और एनसीआर में कर की दरों के युक्तिकरण के मामले पर एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार और चर्चा के लिए एनसीआरपीबी में दिनांक 22.10.2018 और 16.01.2019 को सीओटीएस की एक बैठक आयोजित हुई|

इसके पश्चात नए आरसीटीए (अनुबंध कैरेज) प्रारूप पर चर्चा हेतु दिनांक 08.03.2019 को दूसरी बैठक आयोजित हुई जिसे एनसीआर राज्यों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है| जब तक नए आरसीटीए (अनुबंध कैरेज) प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाना है और एनसीआर राज्यों से आवश्यक अनुमोदन और तदुपरांत अधिसूचनाएं प्राप्त करने हेतु समय का अनुरोध किया गया है, तब तक सीओटीएस ने करार की अवधि को 13.04.2019 के बाद अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है| आरसीटीए के अंतर्गत एनसीआर में करों के युक्तिकरण के संबंध में, दिनांक 08.03.2019 को सीओटीएस की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में आरसीटीए (अनुबंध कैरेज) के अंतर्गत यात्री कर, सड़क कर, टोल टैक्स, प्रविष्टि कर इत्यादि जैसे कर संबंधी मामलों पर चर्चा हेतु 15.03.2019 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें एनसीअर प्रतिभागी राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक अनुमोदनों और उत्तर प्रदेश की निकटतम संभव दरों/कर दरों की एकरूपता के लिए मामले को उठाएं|

परिणामत:, **नए प्रारूप** आरसीटीए (अनुबंध कैरेज) को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और हरियाणा में चुनावों के कारण एनसीआर राज्य 09.10.2019 को आयोजित सीओटीएस बैठक के दौरान और समय का अनुरोध कर रहे हैं, जिसका कारण विधि द्वारा अधिदेशित **तदुपरांत अधिसूचनाएं** और आवश्यक **अनुमोदन** भी **प्राप्त करना है अत:** एनसीआर परमिटों से युक्त सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर रही आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 14.10.2008 को हुए

करार की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जाए और 13.10.2019 के बाद और छह महीनों की और अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो के लिए यथास्थिति बनाई रखी जाए|

इस मामले की दिनांक 12.12.2019 और उसके बाद 06.03.2020 को आयोजित सीओटीएस बैठकों में समीक्षा की गई जिसमें यह सुझाव दिया गया कि चूंकि आरसीटीए (स्टेज कैरेज) और विस्तारित आरसीटीए (अनुबंध कैरेज) की वैधता अप्रैल 2020 में समाप्त हो रही है अत: संयुक्त करारों अर्थात आरसीटीए (सीसी एवं एससी) के प्रारूप पर विचार किया जा सकता है| तदनुसार, प्रारूप पारस्परिक साझा परिवहन करार (अनुबंध कैरेज एवं स्टेज कैरेज) {आरसीटीए (सीसी एवं एससी)} पर चर्चा हुई और उसे राज्यों के साथ इस अनुरोध के साथ साझा किया गया कि वे आरसीटीए (सीसी एवं एससी) के संयुक्त प्रारूप पर यथाशीघ्र अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें|

हालांकि, अचानक हुई कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत दोनों आरसीटीए करारों को असुविधाजनक स्थिति से बचने के लिए दिनांक 23.03.2020 के आदेश के माध्यम से अगले छह महीने के लिए अवधि में विस्तार किया गया जो कि आरसीटीए (अनुबंध कैरेज) के लिए 11.10.2020 तक और आरसीटीए (स्टेज कैरेज) के लिए 20.10.2020 तक है|

एनसीआर में अंतर्राज्यिक संपर्कता सड़कें/संयोजन (लिंकेज)

दिनांक 04.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 37वीं बैठक के अनुपालन में निम्नलिखित संपर्क श्रृंखलाओं को शामिल करते हुए एनसीआर के साथ अंतर्राज्यिक संपर्कता से संबंधित मुद्दों से समाधान के लिए सचिव, (एचयूए) की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.2018 को एक बैठक का आयोजन किया गया:

1. आश्रम चौक, दिल्ली से कालिंदी बाय-पास सड़क से फरीदाबाद बाय-पास।
2. कालिंदी कुंज-नोएडा (120 मीटर अनुप्रवाह) के पास यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण (अब पूरा हो चुका है); और नोएडा में चिल्ला रेगुलेटर (मयूर विहार के पास), सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड (महामाया फ्लाईओवर) तक शाहदरा नाला संरेखण (ड्रेन-एलाइनमेंट) के साथ एलिवेटेड रोड (कार्य आरंभ हो चुका है)।
3. गुड़गांव को जोड़ने वाली क्षेत्रीय योजना के-II में 80 मीटर द्वारका लिंक (30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के साथ 150 मीटर की चौड़ाई लिए हुए एनपीआर से गुज़रते हुए) (कार्य आरंभ हो चुका है)|
4. तिलोरी गाँव, फरीदाबाद के साथ सेक्टर 149-ए और 150 नोएडा को जोड़ने वाला पुल|
5. सेक्टर 168 और 167-ए, नोएडा को लालपुर गांव, फरीदाबाद से जोड़ने वाला पुल|
6. छपरौली और हाथवाड़ा (ग्राम पानीपत, हरियाणा) के बीच यमुना पर पुल (कार्य आरंभ हो चुका है)|
7. गुड़गांव क्षेत्र को नजफगढ़ रोड से जोड़ने वाली 75 मीटर चौड़ी सड़क लिंक
8. उत्तर प्रदेश मे यूईआर-I, दिल्ली से खेकड़ा सिटी रा.रा.-57 तक और यूईआर-II, दिल्ली से ट्रॉनिका सिटी रा.रा.-57 तक|
9. एसएच 18, तक बवाना औचंदी मार्ग विस्तार (कार्य पूरा हो चुका है)|

10. एजुकेशन सिटी, कुंडली से 60 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली से जोड़ने और जोन पी-II के जोनल प्लान में शामिल करने की आवश्यकता है|
11. महरौली-गुड़गांव रोड को रा.रा.-236 के रूप में विकसित किया जाना है|
12. रिंग रोड (इंदर लोक मेट्रो स्टेशन) एवं मौजूदा यमुना नहर लिंक रोड से हरियाणा की सीमा तक सड़क|
13. दिल्ली रिज से गुजरती हुई नेल्सन मंडेला टी-पॉइंट (वसंत कुंज फ्लाईओवर के पास) को जोड़ने वाली मौजूदा गुड़गांव-महरौली सड़क।
14. ग्वाल पहाड़ी मंडी गदईपुर-जौनपुर सड़क का अंधेरिया मोड़, दिल्ली तक उन्नयन करना

तदुपरांत, 20.08.2018 और 20.12.2018 को अपर सचिव (डी एवं डब्ल्यू), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दो बैठकों का आयोजन किया गया| एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और संबंधित एजेंसियों/केन्द्र सरकार के विभागों ने एनसीआर में विभिन्न अंतर्राज्यिक सड़कों/संपर्क मार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान का प्रयास किया| कालिंदी कुंज-नोएडा (120मी. अनुप्रवाह) निकट यमुना नदी पर दूसरे पुल के निर्माण कार्य से संबंधित मुद्दों का निवारण हो चुका है और पुल पूरा हो चुका है और जनता के लिए खोला जा चुका है| बचे हुए संपर्क मार्गों के लिए एनसीआरपीबी एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसियों/विभागों के समक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रही है| सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2019 और दिनांक 06.03.2020 को आयोजित सीओटीएस की बैठक में सभी उपर्युक्त सड़क/संपर्क मार्गों पर विचार विमर्श हुआ और सभी एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसियों/विभागों से अनुरोध किया गया कि वे इन मुद्दों का शीघ्र समाधान करें|

एनसीआर में सम्बद्धता:

क) सड़क नेटवर्क

क्षेत्रीय योजना-2021 में क्षेत्र में परिकल्पित विकास को प्रोत्साहित करने उसका दिशानिर्देशन करने और बनाए रखने और एनसीटी-दिल्ली और क्षेत्रीय नगरों के बीच उच्च यातायात आवागमन को समायोजित करने के लिए पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का प्रस्ताव किया गया है। एनसीआर में प्रस्तावित पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा।

क्षेत्रीय योजना-2021 के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय चिरस्थायी विकास के लिए भूमि प्रयोग स्वरूपों के साथ सुसम्मिलित कुशल और किफायती रेल और सड़क आधारित परिवहन प्रणाली (सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सहित) प्रदान करना है| तदनुसार, एनसीआर योजना बोर्ड ने एनसीआर-2032 (एफटीपी-2030) के लिए परिवहन पर एक प्रकार्यात्मक योजना तैयार की है और उसका परिचालन

प्रस्तावों/ नीतियों/ सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिभागी राज्य / संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों को किया गया है| एफटीपी-2032 के प्रावधानों/प्रस्ताव का क्रियान्वयन प्रतिभागी राज्यों सरकारों/संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाना है| इसके अतिरिक्त, एनसीआरपीबी ने भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सुलभ ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है|

एनसीआर प्रस्तावों के लिए परिवहन-2032 पर कार्यात्मक योजना में क्षेत्रीय त्वरित पारगमन प्रणाली, नई रेल लाईनें, क्षेत्रीय सार्वजनिक त्वरित परिवहन प्रणाली, एक्सप्रेसवे, सड़कों का उन्नयन, बस परिवहन प्रणाली, बस टर्मिनल, लॉजिस्टिक हब, एकीकृत भार ढुलाई परिसर, राजमार्ग सुविधा केंद्र और अपेक्षित भूमि के चिह्नांकन सहित हवाई अड्डे शामिल हैं|

प्राथमिक सड़कें एनसीटी-दिल्ली के साथ क्षेत्रीय/प्राथमिक शहरों को जोड़ने वाली रेडियल सड़कें हैं। क्षेत्रीय योजना-2021 ने मौजूदा रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड और पांच रेडियल सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) का विकास सीएनसीआर कस्बों तक (यानी एनएच-1 दिल्ली से कुंडली तक, एनएच-2 दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, एनएच-8 दिल्ली से गुड़गांव तक, एनएच-10 दिल्ली से बहादुरगढ़ तक और एनएच-24 दिल्ली से गाजियाबाद तक) एक्सप्रेसवे मानकों पर प्रस्तावित किया है। इनमें से निम्नलिखित सड़कों को पूरा किया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में प्रचालनीय बनाया गया है|

- कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के तौर पर भी जाने जाने वाले पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) का क्रियान्वयन हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), हरियाणा सरकार द्वारा किया गया| पलवल से मानेसर तक डब्ल्यूपीई का एक हिस्सा 2016 में आरंभ किया गया तथा शेष हिस्सा नवम्बर, 2018 में शुरू कर गया|

- 135 किमी. लंबा पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे (ईपीई) मई 2018 में शुरु किया गया| दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (निज़ामुद्दीन पुल, दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा तक 9.7 किमी. लंबा भाग) को भी मई, 2018 में आंशिक रूप से खोला गया जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्रियान्व्यनाधीन है|

ख) रेल नेटवर्क

क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि केवल सड़क नेटवर्क का विकास एनसीआर में परिवहन की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए एक सहायक रेल नेटवर्क विकसित करना होगा। इन नेटवर्कों की प्रणाली को एक एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस)

क्षेत्रीय योजना-2021 का प्रस्ताव है कि प्राथमिक क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को विशिष्ट गलियारों की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित लाइनों के माध्यम से एक दूसरे के बीच और दिल्ली के साथ क्षेत्रीय कस्बों

को जोड़ना चाहिए और इसे क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना में सिफारिश की गई है एनसीआर के यात्रियों के लिए तीव्र और कुशल आठ आरआरटीएस गलियारों नामत: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर, दिल्ली-सोनीपत-पानीपत, दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लबगढ़-पलवल, गाजियाबाद-खुर्जा, दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक, गाजियाबाद-हापुड़ और दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत का प्रावधान होना चाहिए|

दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर के बीच 381 किमी. वाली **क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली** को एनसीआर में आरआरटीएस परियोजना के नियोजन और क्रियान्वयन के लिए स्थापित किया गया है जो भारत सरकार और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के संयुक्त उद्यम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन (एनसीआरटीसी) के क्रियान्व्यनाधीन है|

एनसीआरटीसी ने पहले चरण में तीन गलियारों अर्थात **दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर और दिल्ली-सोनीपत-पानीपत** के विकास का उत्तरदायित्व लिया है|

दिल्ली एवं सीएनसीआर नगरों के लिए एमआरटीएस

क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित किया गया है कि जन तीव्र पारगमन प्रणाली (एमआरटीएस) को सीएनसीआर शहरों तक बढ़ाया जाएगा और दिल्ली में समोन्नत किए गए रिंग रेलवे और प्रस्तावित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह भी प्रस्तावित है कि उपयुक्त एकीकृत फीडर रेल/सड़क सेवाओं के साथ एमआरटीएस और आरआरटीएस की योजना बनाई जानी चाहिए। एमआरटीएस का विस्तार गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद-वैशाली, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ जैसे सीएनसीआर नगरों तक कर दिया गया है।

ii. एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2021 की समीक्षा

एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के उपबंधों और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय योजना-2021 की दूसरी समीक्षा कार्रवाई आरंभ की गई| सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया और चार बैठकों का आयोजन किया गया| क्षेत्रीय योजना-2021 के क्षेत्रों/अध्यायों की समीक्षा करने हेतु चौदह अध्ययन दलों का गठन किया गया| एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के प्रतिनिधि, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग, शिक्षाविद् और विषय विशेषज्ञ उक्त अध्ययन दलों का भाग थे| समीक्षा प्रक्रिया के पूरी होने और सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता में दिनांक 04.06.2019 को संचालन समिति की चौथी बैठक आयोजित होने के बाद समीक्षा रिपोर्टों का एक सारांश तैयार किया गया| सिफारिशों के संकलन के साथ अंतिम समीक्षा रिपोर्टें विचारार्थ 15.07.2019 को आयोजित योजना समिति की 67वीं बैठक में प्रस्तुत की गई| इसके पश्चात क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने में एक इनपुट के तौर पर प्रयोग किए जाने के लिए बोर्ड ने दिनांक 13.09.2019 को आयोजित अपनी 38वीं बैठक में क्षेत्रीय योजना-2021 पर अध्ययन दलों की अंतिम समीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया|

iii. एनसीआर में जोड़े गए नए जिलों के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का परिशिष्ट

एनसीआर में सात नए ज़िलों (नामत: भिवानी, दिनांक 01.10.2013 की अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा राज्य के चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिला और 24.11.2015 और 16.04.2018 की अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य के जींद और करनाल जिले और उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर और शामली जिले सहित) को जोड़े जाने के परिणामस्वरूप कुल 20,939 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की तैयारी का काम प्रारम्भ किया गया है। इसके भाग के तौर पर एनसीआर के अतिरिक्त जिलों के लिए क्षेत्रीय भूमि उपयोग की रचना का कार्य नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), भारत सरकार को सौंपा गया है। वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र एनआरएससी द्वारा तैयार किए गए हैं और संबंधित एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। शामली जिले की अधिसूचना के पश्चात, उक्त कार्य में शामली को भी सम्मिलित कर लिया गया है। एनआरएससी द्वारा अपेक्षित डाटा/मानचित्रों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत क्षेत्रीय योजना-2021 का परिशिष्ट तैयार किया गया जिस पर बोर्ड द्वारा दिनांक 13.09.2019 को आयोजित अपनी 38वीं बैठक में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया तथा 28.11.2019 को अधिसूचित किया गया|

iv. एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना -2041 तैयार करना

एनसीआरपीबी क्षेत्रीय योजना-2041 तैयार करने की प्रक्रिया में है| इस बृहद कार्य की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए विज्ञान भवन में 11.11.2019 को एक उद्घाटन संगोष्ठी का आयोजन किया गया था| इस संगोष्ठी का उद्घाटन श्री डी. एस. मिश्रा, सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य, भारत सरकार द्वारा किया गया जहां प्रख्यात पेशेवर, विषय विशेषज्ञ और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग से आमंत्रित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे|

इसके अतिरिक्त एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2041 तैयार करने के लिए दिनांक 03.12.2019 से 24.01.2020 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/पक्षों पर सत्रह पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया| इन कार्यशालाओं में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के 100-125 वरिष्ठ अधिकारियों और पेशेवरों ने भाग लिया| विभिन्न कार्यशालाओं के संक्षिप्त कार्यवृत्तों का सारांश दिनांक 16.03.2020 को आयोजित योजना समिति की 68वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया|

सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी की अध्यक्षता मे मूल सलाहकार समिति (सीएसी) का गठन जनवरी,, 2020 में क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने के समन्वयन और उसकी निगरानी के दृष्टिकोण से किया गया था| सीएसी की दो बैठकों का आयोजन 29.01.2020 और 25.02.2020 को किया गया|

v. एनसीआर के लिए उप क्षेत्रीय योजना-2021 के तहत उप क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अनुसार "प्रत्येक भाग लेने वाला राज्य उस राज्य के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और संघ राज्यक्षेत्र, संघ राज्यक्षेत्र के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा"।

उप-क्षेत्रीय योजनाएं (एसआरपी) संबंधित प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं/तैयार की जा रही हैं| उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	स्थिति
एनसीआर दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने तय किया है कि दि.वि.प्रा./अन्य एजेंसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार उप-क्षेत्रीय योजना बनाने में शामिल हो सकते हैं, जिसे दिल्ली की उप-क्षेत्रीय योजना के रूप में अपनाए जाने से पूर्व दिल्ली सरकार व एनसीआरयो.बो. द्वारा अनुमोदित किया जाए। एनसीटी दिल्ली के लिए प्रारूप एसआरपी दि.वि.प्रा. द्वारा तैयार किया गया है और उसे एनसीआर दिल्ली की सरकार को प्रस्तुत किया गया है| एनसीआर दिल्ली को एसआरपी प्रारूप बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करना है|
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशित किया। हालाँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 29 (2) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को क्षेत्रीय योजना-2021 के क्षेत्रीकरण विनियमों का अनुपालन न करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है।
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 10.11.2015 को राजस्थान उपक्षेत्र (अलवर जिला) की उपक्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन किया है।
हरियाणा	हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उपक्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2014 में अंतिम रूप दिया जा चुका है। तथापि, हरियाणा सरकार को एमओईएफ एवं सीसी के साथ कुछ मुद्दों का निराकरण करना है।

vi एनसीआर में जोड़े गए नए जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना

उप-क्षेत्र	**स्थिति**
राजस्थान	भरतपुर जिले के लिए उपक्षेत्रीय योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिस पर बोर्ड द्वारा दिनांक 13.09.2019 को आयोजित अपनी 38वीं बोर्ड बैठक में विचार किया गया था| राजस्थान सरकार ने दिनांक 18.02.2020 को भरतपुर जिले के लिए उपक्षेत्रीय योजना को अधिसूचित कर दिया है|
हरियाणा	हरियाणा उप-क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उपक्षेत्रीय योजना प्रस्तुत किया गया जिस पर बोर्ड ने दिनांक 13.09.2019 को आयोजित अपनी 38वीं बैठक में विचार किया था |
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार मुज़फ़्फ़रनगर और शामली जिलों के लिए उपक्षेत्रीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है|

vii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मानचित्रण

बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनसीआरपीबी द्वारा एनसीआर के मानचित्रण के लिए एक समिति का गठन किया गया और एनसीआर के मानचित्रण पर एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर योजना समिति की 67वीं बैठक (15.07.2019) और बोर्ड की 38वीं बैठक (13.09.2020) पर विचार विमर्श किया गया| बोर्ड मीटिंग के दौरान अध्यक्ष, एनसीआरपीबी के निर्देशानुसार प्रारूप रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/सुझाए गए विकल्पों पर चर्चा के लिए विज्ञान भवन में दिनांक 17.01.2020 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया| इस सम्मेलन में एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के प्रतिनिधियों, हितधारकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया|

viii. एनसीआर की क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जैसे बोर्ड, योजना समिति, परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समूह (पीएसएमजी), विभिन्न बैठकों के माध्यम से राज्य स्तरीय संचालन समिति। ब्यौरा निम्नलिखित है:

- 13.09.2019 को आयोजित बोर्ड की 38वीं बैठक|
- दिनांक 15.07.2019 और 16.03.2020 को क्रमश: आयोजित योजना समिति की 67वीं और 68वीं बैठक|
- दिनांक 07.06.2019 और 16.03.2020 को क्रमश: आयोजित पीएसएमजी-I की 57वीं और 58वीं बैठक|
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण हेतु गठित समिति की बैठक (15.07.2019)
- दिनांक 10.07.2019, 20.08.2019 और 09.10.2019 को एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के साथ तीन समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया|

ख. **बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 8(ई) के तहत बोर्ड व्यापक योजनाओं का चयन और अनुमोदन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है। बोर्ड उक्त धारा के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं सीएमए के दायरे में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड घटक राज्यों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित), काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 75% ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है तथा बाकी राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होती है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर, बोर्ड की शक्तियां परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-I (पीएसएमजी-I) और परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-II (पीएसएमजी-II) को सौंप दी गई हैं।

सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य की अध्यक्षता में परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-1 (पीएसएमजी-I) को 20.00 करोड़ रू से अधिक की अनुमानित लागत की परियोजनाओं और 50.00 लाख रू से अधिक के परामर्शी अध्ययन के लिए ऋण स्वीकृत करने का अधिकार है। जबकि, 20.00 करोड़ रू तक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं और 50.00 लाख रू तक की अनुमानित लागत वाले परामर्शी अध्ययनों को परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-II (पीएसएमजी-II) में अनुमोदन के लिए सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्रमश: 07.06.2019 और 16.03.2020 को परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह-I (पीएसएमजी-I) की 57वीं और 58वीं बैठक का आयोजन किया गया था| पीएसएमजी-I की 57वीं बैठक में ₹608.70 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 3 अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए ₹456.78 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए थे। 58वीं पीएसएमजी-I की बैठक में ₹254.16 करोड़ की अनुमनित लागत वाली 5 अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए ▯190.61 करोड के ऋण स्वीकृत किए गए थे| अत: ₹862.86 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 8 अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए बोर्ड द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृत कुल ऋण ▯647.39 करोड़ है|

बोर्ड ने ₹31464 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 360 अवसंरचना विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसमें से ₹15105 करोड़ की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। बोर्ड ने मार्च, 2020 तक लगभग ₹12269 करोड़ की ऋण राशि जारी की है।

पूर्ण तथा प्रक्रियाधीन परियोजनाओं का उपक्षेत्रवार ब्यौरा तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका-1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का उप-क्षेत्रवार ब्यौरा (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रू में)

क्रम सं.	राज्य	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	एनसीआरपीबी द्वारा जारी ऋण
1	राजस्थान [सीएमए-जयपुर समेत]	प्रक्रियाधीन	54	3437	2427	2019
		पूर्ण	30	1679	631	595
	उप-योग		**84**	**5116**	**3058**	**2614**
2	उत्तर प्रदेश [सीएमए-बरेली समेत]	प्रक्रियाधीन	6	7005	2549	2332
		पूर्ण	51	2117	919	681
	उप-योग		**57**	**9122**	**3468**	**3013**
3	हरियाणा [सीएमए-हिसार	प्रक्रियाधीन	31	1566	1076	451
		पूर्ण	176	13985	6355	5682

	समेत]					
	उप-योग		**207**	**15551**	**7431**	**6132**
4	एनसीटी-दिल्ली	प्रक्रियाधीन	2	467	350	20
		पूर्ण	2	521	310	310
	उप-योग		**4**	**988**	**660**	**330**
5	पंजाब में सीएमए पटियाला	प्रक्रियाधीन	0	0	0	0
		पूर्ण	2	79	46	46
	उप-योग		**2**	**79**	**46**	**46**
6	मध्य प्रदेश में सीएमए-ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	2	475	341	32
		पूर्ण	4	134	101	101
	उप-योग		**6**	**609**	**442**	**133**
	कुल	प्रक्रियाधीन	**95**	**12949**	**6743**	**4854**
		पूर्ण	**265**	**18515**	**8362**	**7415**
	कुल योग		**360**	**31464**	**15105**	**12269**

अनुबंध-1 के अनुसार, बोर्ड द्वारा वित्तपोषित 360 परियोजनाओं में से प्राप्त सूचना के अनुसार 265 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 95 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

स्वीकृत ऋण की दृष्टि से परियोजनाओं का क्षेत्रवार सार चित्र-1 में दिया गया है।

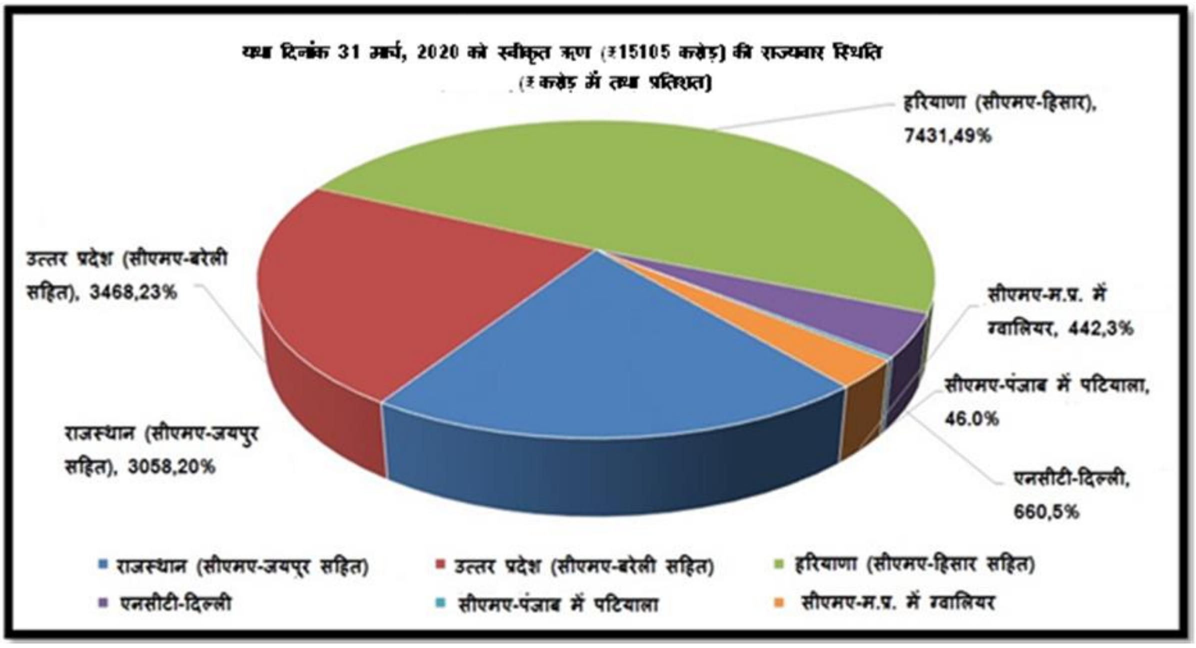

अनुबंध-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (मार्च 2020 तक की स्थिति)

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**कार्यान्वयन एजेंसी**	**स्वीकृति की तिथि**	**अनुमानित लागत**	**स्वीकृत ऋण**	**जारी ऋण की वास्तविक राशि**
	हरियाणा उप क्षेत्र					
	परिवहन क्षेत्र परियोजना					
1	एल/सी सं. 553 पर दिल्ली पलवल मथुरा रेलवे लाइन पर होडल हसनपुर मार्ग पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	दिस.-12	24.10	13.76	10.88
2	एल/सी सं. 29 पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर चीनी मिल के समीप सोनीपत पुरखास मार्ग पर 2 लेन आरओबी	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	दिस.-12	40.37	16.42	13.21
3	रोहतक जिले में दक्षिणी बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 तक सड़क का निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	दिस.-13/ मई-15	27.66	20.75	16.30
4	झज्जर/गुडगांव जिला में झज्जर फारुखनगर-गुडगांव मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	दिस.-13/ जन.-16	115.11	86.33	59.53
5	रेवाडी प्रभाग (हेलीमंडी से पहलावास मार्ग, कोसली - गुरयानी से पहलावास राष्ट्रीय राजमार्ग-71 और दहिना-जातुसाना मार्ग) में 3 मार्गों को उन्नत दर्जे का बनाना	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	दिस.-13/ मई-2015	83.53	62.65	28.26
6	रोहतक जिले में लखनमाजरा मैहम रोड पर एल सी 79 पर दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	जन.-16	56.04	23.15	19.26

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
7	पानीपत जिले में दिल्ली वाटर कैरियर लिंक के साथ एल/सी सं 54 पर जींद पानीपत सेक्शन (66/9-10) क्रासिंग रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	जन.-16	32.58	11.18	9.47
8	पानीपत जिले में एलसी सं 55 पर जींद-पानीपत सेक्शन में (67/10-11) पानीपत काबली रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	जन.-16	29.46	11.29	9.52
9	हिसार, डाबरा चौक में हिसार सदलपुर रेलवे लाइन एवं पुराने डीएचएस क्रासिंग (आरडी 164.60) पर एलसी 3 पर अतिरिक्त 2 लेन आरओबी का निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	जन.-16	74.67	56.00	22.40
10	रोहतक शहर में छोटू राम चौक से पुराने बस स्टैंड (74.00 से 75.86 किमी) तक रा.रा.10 पर ऐलीवेटेड रोड का निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	जन.-16	152.83	114.62	45.85
11	दिल्ली के एलसी नं 564 में 2 लेन आरओबी का दिल्ली रेलवे लाइन पलवल जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	नव-17	47.78	23.41	12.45
12	मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 561 में दिल्ली पलवल जिले में पलवल बामनी खेड़ा हसनपुर रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	नव-17	48.88	22.06	19.98
13	सोनीपत जिले में आईटीआई चौक से सफियाबाद गांव से सोनीपत जिले सीमा तक 2.310 से 14.800 तक मौजूदा	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	नव-17	101.81	76.36	30.54

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	सोनीपत-रथधना नरेला रोड का उन्नयन, सोनीपत					
14	रेवाड़ी-नारनौल रोड से रेवाड़ी झज्जर से रेवाड़ी दादरी रोड और रेवाड़ी मोहिन्द्रगढ़ रोड के माध्यम से 3 रोड सहित लिंक रोड का निर्माण आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवाड़ी	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	नव-17	176.00	132.00	52.80
15	सोनीपत जिले में आने वाली पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूवाईसी) के किनारों के साथ साथ हरेवेली के निकट घोघरीपुर से हरियाणा-दिल्ली सीमा तक 2 लेन की राहत सड़क का निर्माण|	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	जून-19	200.00	150.00	75.00
16	नूह जिले में कोटा खंडेवाला तक 0.00 से लेकर 12.20 किमी. तक तावड़ू सराय रोड को चौड़ा करना और उसे मज़बूत करना|	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	16-03-20	32.51	24.38	
17	नूह जिले में 0.00 से लेकर 09.83 किमी. तक पुन्हाना शिकरावा रोड को चौड़ा करना, उसे मज़बूत करना और उसे पुन: निर्मित करना|	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	16-03-20	31.90	23.92	
18	नूह जिले में 0.00 से लेकर 11.30 किमी. तक पुन्हाना कोट रोड को चौड़ा करना, उसे मज़बूत करना और उसे पुन: निर्मित करना|	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	16-03-20	42.88	32.16	
19	पलवल और नूह जिले में 4 लेन बनाने/ऊंचा करने/सीसी पेवमेंट बनाने/मज़बूत करने के माध्यम से पलवल हाथिन उटावर रोड (एमडीआर-135) में सुधार करना	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	16-03-20	73.81	55.36	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	(लंबाई 22.400 किमी.)|					
20	फरीदाबाद जिले में 3 किमी. से (बाई पास रोड) 14.96 किमी. तक (केजीपी पर इंटरचेंज) बल्लबगढ़ छैनसा मोहना रोड पर विभाजित कैरेजवे प्रदान करने के माध्यम से केजीपी एक्सप्रेसवे के साथ फरीदाबाद नगर की संपर्कता में सुधार|	लो.नि.वि. (बी एवं आर), हरियाणा	16-03-20	73.06	54.79	
				1464.98	**1010.59**	**425.45**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं					
21	कोसली, जिला रेवाड़ी के गांव कोसली, भाकली और कोसली के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध करना	पीएचईडी हरियाणा	जून-19	8.70	6.53	5.22
22	**गन्नौर** शहर, जिला सोनीपत में एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	16-03-20	5.64	4.08	1.23
23	**खरखोदा** शहर, जिला सोनीपत एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 4.5 एमएलडी एसटीपी का तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के बाद नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	16-03-20	4.54	3.26	0.98
24	**समालखा** शहर, जिला पानीपत में तृतीयक उपचार के बाद एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर मौजूदा 5 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीकरण	पीएचईडी हरियाणा	16-03-20	7.14	5.19	1.56

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
25	मौजूदा 5.5 एमएलडी एसटीपी और 5 एमएलडी एसटीपी (एमबीबीआर प्रौद्योगिकी) के उन्नयन के बाद क्रमशः कोस्ली रोड और साम्पला रोड पर तृतीयक उपचार और क्लोरिनेशन के साथ कुछ शेष पाइपलाइन बिछाने का कार्य, **झज्जर**	पीएचईडी हरियाणा	16-03-20	11.00	7.91	2.37
26	पलवल जिले के **होडल** शहर में एनजीटी दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु बची हुई कॉलोनियों और नई अनुमोदित उपनिवेशों में सीवरेज नेटवर्क और नालियों की टैपिंग	पीएचईडी हरियाणा	16-03-20	4.66	3.50	1.05
27	**कलानूर** शहर में हाल ही में अनुमोदित कॉलोनियों और बचे हुए क्षेत्रों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और तदुपरांत रोहतक जिले के कलानूर शहर में तृतीयक उपचार और क्लोरीनेशन	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू-07	8.26	6.19	1.86
28	**सांपला** शहर में हाल ही में अनुमोदित कॉलोनियों और बचे हुए क्षेत्रों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित 4 मौजूदा एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण तदुपरांत रोहतक जिले में सांपला शहर में तृतीयक उपचार	पीएचईडी हरियाणा	नव.-17	7.93	5.95	1.78
29	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी में संशोधन, एसटीपी	पीएचईडी हरियाणा	नव.-17	13.66	10.24	3.07

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	सोहना से नूह नाला तक गंदा पानी निपटान और बची हुई अनुमोदित कॉलोनियों के लिए सीवरेज सिस्टम के साथ सोहना शहर की नालियों की टेपिंग					
30	बेरी शहर की शेष अनुमोदित कॉलोनियों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना और झज्जर जिले के **बेरी** में मौजूदा पानी स्थिरीकरण तालाब के आधार पर बने 2 एमएलडी एसटीपी के स्थान पर एसबीआर प्रौद्योगिकी के आधार पर 2.6 एमएलडी एसटीपी का निर्माण, क्लोरिनेशन	पीएचईडी हरियाणा	नव.-17	9.28	6.96	2.09
				80.80	**59.80**	**21.20**
	विद्युत क्षेत्र परियोजनाएं					
31	यूएचबीवीएन द्वारा हरियाणा के झज्जर, रोहतक, पानीपत और सोनीपत सर्किलों में (आईपीडीएस के तहत) मीटरिंग समेत सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	पीएचईडी हरियाणा	नव.-17	19.74	5.93	4.15
				19.74	**5.93**	**4.15**
	हरियाणा उप कुल			**1565.52**	**1076.32**	**450.80**
	उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र					
	परिवहन सेक्टर परियोजनाएँ					
32	नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा (29.707 किमी) के मध्य मेट्रो संपर्कता परियोजना	एनएमआरसी	जन.-16	5503	1587.00	1430.00
33	जीडीए द्वारा गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में 6 लेन एलीवेटेड रोड (हिंडन) का विकास	जीडीए	जन.-16	1147.60	700.00	700.00
				6650.60	**2287.00**	**2130.00**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	जल क्षेत्र परियोजनाएँ					
34	डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक पल्ला (ग्रेटर नोएडा) निर्मल जल मेन पर देहरा (गाजियाबाद) पर इनटेक से डब्ल्यूटीपी साइट तक रॉ वाटर कन्वेंस मेन	जीएनआईडीए	अग.-13	183.19	137.39	83.00
35	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और इस से सम्बंधित निर्माण कार्य	जीएनआईडीए	अग.-13	121.48	87.16	87.16
				304.67	**224.55**	**170.16**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजना					
36	इकोटेक-III, ग्रेटर नोएडा में 20 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र व पंपिंग स्टेशन का निर्माण	जीएनआईडीए	अग.-13	28.15	21.10	17.70
37	इकोटेक-II, ग्रेटर नोएडा में 15 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र व पंपिंग स्टेशन का निर्माण	जीएनआईडीए	अग.-13	21.17	15.87	14.36
				49.32	**36.97**	**32.06**
	उ.प्र. उप कुल			**7004.59**	**2548.52**	**2332.22**
	राजस्थान उप क्षेत्र					
	जल क्षेत्र					
38	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग./अक्तूबर 2013	174.86	131.14	94.72
39	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग./अक्तूबर 2013	16.46	12.35	9.19
40	राजगढ़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग./अक्तूबर 2013	20.24	15.18	10.96
41	बहरोड़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग./अक्तूबर 2013	26.02	19.51	14.49
42	भिवाड़ी जल आपूर्ति सुधार	पीएचईडी	अग./अक्तूबर 2013	40.69	30.52	30.52

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	परियोजना	राजस्थान				
43	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जल आपूर्ति योजना खैरथल, अलवर जिले का पुनर्गठन	पीएचईडी राजस्थान	नवम्बर-17	36.26	27.19	14.00
44	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जलापूर्ति योजना किशनगढ़ बेस, अलवर जिले का पुनर्गठन	पीएचईडी राजस्थान	नवम्बर-17	21.0551	15.78	7.00
				335.59	**251.67**	**180.88**
	परिवहन क्षेत्र					
45	बारोड पर शाहजहांपुर रोड सीसी के विलेज पोर्शन में 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 (एमडीआर-206) का उन्नयन सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	22.78	17.08	5.12
46	एनएच-8 से पहाड़ी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक) उन्नयन सुदृढ़ीकरण और विकास पुनर्निर्माण कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	15.44	11.58	3.47
47	बेहरोड़ से भुमरिका रोड पर किलोमीटर 0/0 से 12/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, विकास और पुन: निर्माण कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	13.51	10.13	9.12
48	हरसोली-रामनगर-मिर्का-बासक्रिपालनगर-किशनगढ़बास-मोथुका-थानाघाउदा-मुबारिकपुर रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	56.48	42.36	38.13
49	तातारपुर चौराहा-शेओपुर खानपुर अहिर जाटभगोला अलीपुर रोड किलोमीटर 0/0 से 36/500 तक सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	49.3	36.97	33.27
50	पदिसल-जगता बसई-रट्टा खुर्द-	लो.नि.वि.,	नवम्बर-17	25.68	19.26	5.78

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	बालनबसई-श्यामका-इस्माइलपुर-गंज-किशनगढ़बास सड़क	राजस्थान				
51	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुर्ज तिराया रोड किलोमीटर 0/0 से 25/0 (एसएच-77) का विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	34.59	25.94	7.78
52	अलवर से मत्स्य विश्वविद्यालय, हलदेना वाया मदनपुरी भजीत नंगला चरण सड़क का उन्नयन (3.75मी से 7मी कैरिजवे)	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	17.62	13.21	11.88
53	अलवर शहर में विभिन्न सड़कों पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	34.6	25.95	23.36
54	3 से 7 मीटर तक 0/0 से 7/0 (गोविंदगढ़ से शेमला खुर्द) तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	8.45	6.33	5.70
55	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (बड़ौदामेओ गंधुरा लक्ष्मणगढ़) से 3.75 मी से 7.0मी तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार व उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	15.88	11.91	3.57
56	विजय मंदिर अलवर के घाटला-पदिसल और हरसोली रोड वाया खैरथल रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	42.42	31.81	28.63
57	दौसा तहला सरिस्का रोड एसएच-29ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक कि.मी. 8/00 से 38/00 तक सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	18.31	13.73	12.36
58	दौसा-कुंडल-गुधा कटला बांदीकुई-बालाहेरी-मांडवार-घोरसराना-	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	31.42	23.56	21.20

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	कथुमार रोड कि.मी. 74/00 से 102/00 एसएच-78 (पुराना एमडीआर-48) पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।					
59	तहला मच्छारी रोड एसएच-25ए कि.मी. 0/0 से 23/500 पर मौजूदा पुलिया को चौड़ा करना और सुदृढ़ीकरण	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	8.12	6.09	5.48
60	तेहला राजगढ़ गढ़ी सवईराम रोड एसएच-25ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर, 0/0 से 4/500 तक 3.00 मीटर से 7.0/500 तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक 26/300 और 32/400 का सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करना	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	10.61	7.95	7.16
61	रेनी-माछरी रोड से गुज़रते हुए रोहड़ा से बाराभडकोल तक 76/0 कि.मी. से 90/0 (एमडीआर-151) तक उन्नय, सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण और विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	18.88	14.16	12.74
62	गोथ की चौकी बिगोटा रोड किलोमीटर 0/0 से 21/0 का उन्नयन, उसका सुदृढ़ीकरण और उसका विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	14.87	11.15	10.04
63	घाट के राजपुर बाड़ा वाया देवती कि.मी. 0/0 से 10/800 का उन्नयन, उसका सुदृढ़ीकरण और उसका विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	14.87	11.15	10.04
64	राजगढ़ से करोथ रोड कि.मी. 0/0 से 3/0 तक उन्नयन, उसका सुदृढ़ीकरण बनाना और उसका विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	5.74	4.3	3.87

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
65	3.0 मीटर से 7.0 मीटर किलोमीटर 0/0 से 3/0 (ए/आर से बलदेवगढ़) तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	5.3	3.97	1.19
66	0 0 से 2/0 (तिलवाड़ से तिलवाडी) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	3.54	2.65	2.39
67	3 मीटर से 7 मीटर कि.मी. 0/0 से 3/500 (एसएच-29ए से थाना) तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	6.12	4.59	4.13
68	किलोमीटर 0/0 से 3/500 (ए/आर से घटरा) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	6.17	4.62	1.39
69	कि.मी. 0/0 से 3/300 (पालपुर से कंकराली रामपुर तक) 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	5.84	4.38	3.94
70	कि.मी. 0/0 से 1/900 (ए/आर से भानगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	2.83	2.12	1.91
71	कि.मी. 0/0 से 2/0 (ए/आर से नारायणी माता मंदिर तक) 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	2.83	2.12	1.91

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
72	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से उदयपुरा), 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	13.3	9.97	8.97
73	किलोमीटर 0/0 से 12/0 (खेरली से भानोकार) तक 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	15.87	11.9	3.57
74	एलनपुर-बंसूर-प्रतापगढ़-ढोला ताला रोड किमी 25/0 से 70/0 (एसएच-52) का विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	69.09	51.81	46.62
75	रामगढ़-गोविंदगढ़-सीकरी नगर रोड एसएच-45 8/825 से 27/745 तक (जिला सीमा खंड तक छिदवाई-गोविंदगढ़) उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	29.7	22.27	20.04
76	थानागाज़ी प्रतापगढ़ ढोला ताला रोड किलोमीटर 99/0 से 120/200 का विकास	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	28.87	21.65	19.49
77	नटनी का बाड़ा मलखेड़ा-लक्ष्मणगढ़ कथुमार रोड (कथुमार बाई पास 0/00 किलोमीटर से 1/400 तक सम्मिलित) 25/0 किमी. से 61/0 एसएच-44 (चिमरावली-मौजपुर-लक्ष्मणगढ़-खुदीयान बरेदा कथुमार खंड तक) तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य,	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	41.16	30.87	27.78
78	महुवा-मांडवार-गढ़ी-सवाई राम-लक्ष्मणगढ़-गोविंदगढ़ रोड	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	14.21	10.65	9.59

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	एसएच-35 60/000 किमी से 70/0 तक (लक्ष्मणगढ़-जलुकी-गोविंदगढ़ खंड) तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य					
79	हरसोली-बीबीराणी-कोटकासिम-बुद्धबावल-तापुकरा रोड 45/0 किलोमीटर से 57/200 तक, 62/900 से 64/500 तक और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	23.99	17.99	16.19
80	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा 6/0 किलोमीटर से 40/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व विकास	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	48.33	36.24	32.61
81	अलीपुर-खेडी-खानपुर दग्रेन-पूर-निमलका-कालगांव-हिंगवाहेडा-तिजारा-फिरोजपुर-जिर्का रोड का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व विकास	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	34	25.5	7.65
82	तापुकरा मिलकपुर पर 0/0 किमी. से 7/500 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास और पुन: निर्माण कार्य	लो.नि.वि., राजस्थान	नवम्बर-17	13.96	10.47	9.42
				824.68	**618.39**	**477.49**
	विद्युत क्षेत्र					
83	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई पारेषण परियोजनाएं-अलवर जिले में बहादुरपुर, टेल्को सर्कल और खैरथल स्थित 132 केवी जीएसएस के वित्तपोषण के लिए नया प्रस्ताव|	पीआरवीपीएव लि.	जून-19	43.70	32.78	**13.11**
				43.70	**32.78**	**13.11**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	राजस्थान उप कुल			**1203.97**	**902.84**	**671.48**
	दिल्ली उप क्षेत्र					
	परिवहन					
84	अत्यधिक भीड़ के शमन हेतु अतिरिक्त रोलिंग स्टॉक का प्रापण	डीएमआरसी	जून-19	365.00	274.00	
				365.00	**274.00**	**0.00**
	अन्य					
85	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिण जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बहु-मंजिले कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	दिसम्बर-13	101.65	76.24	20.00
				101.65	**76.24**	**20.00**
	दिल्ली उप कुल			**466.65**	**350.24**	**20.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र					
	मध्य प्रदेश में परियोजनाएं - सीएमए एसएडीए ग्वालियर					
	भूमि विकास परियोजनाएं					
86	एसएडीए, ग्वालियर में आवासीय स्कीमों का अवसंरचनात्मक विकास	एसएडीए, ग्वालियर	नवम्बर-09	76.07	42.05	31.54
	जल क्षेत्र की परियोजनाएँ					
87	ग्वालियर शहर के लिए जलापूर्ति योजना का विकास	ग्वालियर नगर निगम	जुलाई-18	398.45	298.84	0.00
	सीएमए ग्वालियर उप-कुल			**474.52**	**340.89**	**31.54**
	राजस्थान में परियोजनाएं - सीएमए जयपुर					
	मल निकासी (सीवरेज)					
88	जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्रीय विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का पुनुरुत्थान	जेडीए	जन.-17	1582.06	1098.00	1059.00
	परिवहन क्षेत्र की परियोजना					

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
89	जयपुर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल/सी-211, गोनर रोड, डांतली पर विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊँचाई सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन.-17	65.00	21.97	21.97
90	जयपुर में पंचायत भवन/एसबीबीजे बैंक से अंबाबरी टी-जंक्शन तक, मौजूदा झोतवाड़ा आरओबी के समानांतर, 3 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन.-17	166.73	118.87	0.00
91	जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर एलसी-70 सीतापुर के स्थान पर 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन.-17	92.00	48.92	48.92
92	एलसी-200, बस्सी टाउन, जयपुर के स्थान पर एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन.-17	48.30	27.38	27.38
93	जयपुर में जयपुर से सीकर रेलवे लाइन पर एलसी-102/2ई जहोटा के स्थान पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन.-17	42.00	31.50	31.50
94	जयपुर में आनंद लोक और स्वपन लोक को जोड़ने के लिए पुल सं.107 के पास जयपुर-सीकर रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण	जेडीए	जन.-17	12.00	9.00	9.00
95	सोडाला तिकोणीय-जंक्शन से अंबेडकर सर्किल, जयपुर के पास एलआईसी कार्यालय तक जेडीए द्वारा एलीवेटेड रोड का निर्माण	जेडीए	जन.-17	225.00	168.75	150.00
	सीएमए शहर जयपुर-परिवहन			651.03	426.39	288.77

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण की वास्तविक राशि
	सीएमए शहर जयपुर-उप कुल			2233.09	1524.39	1347.77
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र - कुल			2707.61	1865.28	1379.31
	कुल			12948.33	6743.20	4853.81

(ग) वर्ष के दौरान ऋण संवितरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिभागी राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को 32 प्रक्रियाधीन और 2 नई परियोजनाओं के लिए 795.96 करोड़ रु. का ऋण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

(राशि □ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
1	दौसा-कुंडल-गुधा कटला बांदीकुई-बालाहेरी-मांडवार-घोरसराना-कथुमार रोड कि.मी. 74/00 से 102/00 एसएच-78 (पुराना एमडीआर-48) पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	3142.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	1413.00
2	रेनी-माछरी रोड से गुज़रते हुए रोहरा से बाराभडकोल 76/0 कि.मी. से 90/0 (एमडीआर-151) तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	1888.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	849.00
3	गोथ की चौकी बिगोटा रोड 0/0 किलोमीटर से 21/0 का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	1487.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	669.00
4	घाट के राजपुर बाड़ा वाया देवती 0/0 कि.मी. से 10/800 का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास।	1487.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	669.00
5	राजगढ़ से करोथ रोड 0/0 कि.मी. से 3/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य।	574.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	258.00

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
6	0/0 कि.मी. से 1/900 (ए/आर से भानगढ़) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक, सुदृढ़ीकरण, उसे चौड़ा करना और उसका उन्नयन करना|	283.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	127.00
7	0/0 कि.मी. से 2/0 (ए/आर से नारायणी माता मंदिर तक) 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन|	283.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	127.00
8	0/0 किलोमीटर से 12/0 (खेरली से उदयपुरा), 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन|	1330.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	598.00
9	एलनपुर-बंसूर-प्रतापगढ़-ढोला ताला रोड 25/0 किमी से 70/0 (एसएच-52) का विकास कार्य	6909.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	3108.00
10	थानागाज़ी प्रतापगढ़ ढोला ताला रोड 99/0 किलोमीटर से 120/200 का विकास कार्य	2887.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	1299.00
11	नटनी का बाड़ा मलखेड़ा-लक्ष्मणगढ़ कथुमार रोड (कथुमार बाई पास 0/00 किलोमीटर से 1/400 तक सम्मिलित) 25/0 किमी. से 61/0 एसएच-44 (चिमरावली-मौजपुर-लक्ष्मणगढ़-खुदीयान बरेदा कथुमार खंड तक) तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	4116.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	1852.00
12	हरसोली-बीबीराणी-कोटकासिम-बुद्धबावल-तापुकरा रोड 45/0 किलोमीटर से 57/200 तक, 62/900 से 64/500 तक और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य	2399.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	1079.00
13	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा 6/0 से 40/0	4883.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	2174.00

(राशि □ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
	किलोमीटर का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य				
14	अलवर से मत्स्य विश्वविद्यालय, हलदेना वाया मदनपुरी भजीत नंगला चरण सड़क का उन्नयन (3.75 मी से 7 मी कैरिजवे)	1762.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	792.00
15	जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्रीय विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का पुनुरुत्थान	158206.00	जेडीए	जल	4000.00
16	एलसी-200 के एवज में एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का बस्सी शहर जयपुर में निर्माण	4830.00	जेडीए	सड़क	988.00
17	यूएचबीवीएन द्वारा हरियाणा के झज्जर, रोहतक, पानीपत और सोनीपत सर्किलों में (आईपीडीएस के तहत) मीटरींग समेत सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	1974.00	यूएचबीवीएन लि.	विद्युत	356.00
18	सोडाला तिकोणीय-जंक्शन से अंबेडकर सर्किल, के पास एलआईसी कार्यालय तक जेडीए द्वारा एलीवेटेड रोड का निर्माण	22500.00	जेडीए	सड़क	6000.00
19	"नलहर मेडिकल कॉलेज और नूह शहर" के लिए पीएचईडी हरियाणा द्वारा जलापूर्ति स्कीम|	13916.00	पीएचईडी, हरियाणा	जल	1424.00
20	सोनीपत जिले में आने वाली पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूवाईसी) के किनारों के साथ साथ हरेवेली के निकट घोघरीपुर से हरियाणा-दिल्ली सीमा तक 2 लेन की राहत सड़क का निर्माण|	2000.00	लो.नि.वि.(बी एंड आर) हरियाणा	सड़क	7500.00
21	पलवल जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 564 पर 2 लेन आरओबी का निर्माण|	4778.00	लो.नि.वि.(बी एंड आर) हरियाणा	सड़क	426.00

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
22	पलवल जिले में पलवल बमनीखेड़ा हसनपुर रोड पर मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नं 564 पर 2 लेन आरओबी का निर्माण|	4888.00	लो.नि.वि.(बी एंड आर) हरियाणा	सड़क	1226.00
23	रोहतक जिले में दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर एल/सी 79 पर लखनमाजरा मेहम रोड पर 4 लेन आरओबी का निर्माण|	5604.00	लो.नि.वि.(बी एंड आर) हरियाणा	सड़क	1000.00
24	अलवर जिले राजस्थान में बहादुरपुर, टेल्को सर्कल और खैरथल में स्थित 132 केवी जीएसएस का निर्माण|	4370.00	पीआरवीपीएन, राजस्थान	विद्युत	1311.00
25	राजस्थान के अलवर जिले में दौसा तहला सरिस्का रोड एसएच-29ए पर 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक 8/00 कि.मी. से 38/00 तक सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का कार्य	1373.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	824.00
26	राजस्थान के अलवर जिले में 0/0 किमी. से 23/500 तक टहला मचारी रोड एसएच 25 ए पर उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य|	609.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	365.00
27	राजस्थान के अलवर जिले में 0/0 से 2/0 (तिलवाड़ से तिलवाडी) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना एवं उन्नयन|	265.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	159.00
28	राजस्थान के अलवर जिले में बेहरोड़ से भुमरिका रोड पर 0/0 किलोमीटर से 12/0 तक उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, विकास और पुन: निर्माण कार्य	1013.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	608.00
29	राजस्थान के अलवर जिले में 3 से 7 मीटर तक 0/0 से 7/0 (गोविंदगढ़ से शेमला खुर्द) तक सुदृढ़ीकरण, विस्तार और उन्नयन	633.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	380.00
30	राजस्थान के अलवर जिले में तेहला राजगढ़ गढ़ी सवईराम रोड एसएच-	795.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	477.00

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
	25ए पर 26/300 से 32/400 के 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक चौड़ा करना और 0/0 किमी. से 4/500 तक 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करना|				
31	राजस्थान के अलवर जिले के 0/0 किमी. से 3/500 (एसएच-29 ए से थाना तक) से 3 मी. से 7 मी. तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना और उन्नयन|	459.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	275.00
32	राजस्थान के अलवर जिले में 0/0 कि.मी. से 3/300 (पालपुर से कंकराली रामपुर तक) तक 3.0 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ा करना एवं उन्नयन|	438.00	लो.नि.वि., राजस्थान	सड़क	263.00
33	नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो संपर्क की परियोजना (29.707 किमी.)	158700.00	एनएमआरसी	परिवहन	30000.00
34	जीडीए द्वारा गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में 6 लेन एलीवेटेड रोड (हिंडन) का विकास	70000.00	जीडीए	सड़क	7000.00
	कुल				**79596.00**

क्षेत्रवार जारी ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

2019-20 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया ऋण	**राशि करोड़ में**
जलापूर्ति/ जल शोधन	**54.24**
सड़कें एवं आरओबी	**425.05**
विद्युत	**16.67**
परिवहन	**300.00**
	795.96

(अनुमानत: ₹795.96 करोड़)

घ (i) वित्तीय संसाधन

1. वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन निम्नानुसार हैं:

<u>भारत सरकार की बजटीय सहायता</u>

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अंशदान - ₹50 करोड़।
- वेतन तथा भत्तों और बोर्ड के अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान - ₹5.10 करोड़।

<u>आंतरिक तथा वाह्य बजटीय संसाधन</u>

- नकद आधार पर आंतरिक प्रोद्भूत अर्थात राज्य सरकारों और उनके परास्थित संगठनों (पैरास्टेटल्स) को दिए ऋण और बैक में जमा धनराशियों इत्यादि से अर्जित ब्याज - ₹369.89 करोड़।
- ऋण लेने वालों यानी राज्य सरकारों और उनके परास्थित संगठनों (पैरास्टेटल्स) द्वारा ऋण (मूल) की वापसी - ₹450.75 करोड़। राज्य सरकारों और उनकी कार्यात्मक एजेंसियों द्वारा ऋणों की वापसी करने में कोई चूक नहीं हुई है। वूसली 100% है ।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, प्राप्त अनुदान और वास्तविक व्यय निम्नलिखित अनुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

ब्यौरा	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय
पूंजी*	50.00	917.47***
राजस्व**	5.10	

* *अनुदान/बजटीय अंशदान से अधिक हुए व्यय को एडीबी और केएफडब्ल्यू जैसी बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार लेकर तथा ऋण के वापसी भुगतान और बोर्ड के अपने आतंरिक उद्भूत राशि से पूरा किया गया ।*

** *राजस्व अनुदान से अधिक राजस्व व्यय बोर्ड के आंतरिक संसाधनों से पूर्ण किए गए।*

*** *31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय और व्यय खाते के अनुसार। इसमें बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों/उनकी एजेंसियों को दिए गए ऋण भी शामिल हैं।*

(ii) संसाधन संग्रहण

घरेलू पूँजी बाजार

- वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बांडों के जरिए बोर्ड का कुल बकाया उधार शून्य है।

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्त पोषण

एशियाई विकास बैंक से ऋण

- एडीबी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके काउंटर मेग्नेट क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बहु-किश्त वित्तपोषण सुविधा के तौर पर एनसीआरपीबी को 150 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण अनुमोदित किया है| 78 मिलियन अमरीकी डॉलर की पहली किश्त के लिए ऋण करार पर एडीबी और एनसीआरपीबी द्वारा 17.03.2011 को हस्ताक्षर किए गए| 78 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण राशि की पहली किश्त में से 18.01 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि रद्द कर दी गई है| बोर्ड ने पहले ही 59.99 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹352.06 करोड़) की संपूर्ण ऋण राशि का प्रयोग किश्त 1 के लिए 31.12.2004 की समापन तारीख तक कर लिया है| ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से देय संगत अवधि की उनकी निधियों की लागत के आधार पर एडीबी द्वारा यथानिर्धारित 6 महीने के एलआईबीओआर+मार्जिन पर आधारित है| ऋण वापसी अवधि 5 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि (मोराटोरियम पीरियड) के साथ 25 वर्ष होगी|

- बोर्ड एडीबी को नियमित रूप से अपनी देयताओं का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार एडीबी के ऋण की कुल बकाया राशि (पुनर्भुगतान के पश्चात) 54.52 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹411.03 करोड़) है।

केएफडब्ल्यू जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी से ऋण

- केएफडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जलापूर्ति, मल निकासी, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल स्कीमों के लिए 100 मिलियन यूरो ऋण + 1 मिलियन यूरो अनुदान के ऋण करारों पर क्रमश: 09 फरवरी, 2012 तथा 30 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए। केएफडब्ल्यू को ऋण वापसी की अवधि मूल धनराशि की अदायगी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 15 वर्ष होगी। ऋण के लिए स्थाई ब्याज दर 1.83% प्रति वर्ष है। बोर्ड ने केएफडब्ल्यू से 100 मिलियन यूरो की राशि का दावा किया है और उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त की है|

- बोर्ड नियमित रूप से केएफडब्ल्यू को देयताओं का भुगतान कर रहा है। दिनांक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार, केएफडब्ल्यू के ऋण की कुल बकाया राशि (पुनर्भुगतान के पश्चात) 70.00 मिलियन यूरो (₹581.35 करोड़) है।

(iii) लेखों का लेखा परीक्षण

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

च. प्रशासन और सतर्कता

i) प्रशासन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सचिवालय में नियोजन, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त तथा परियोजना विभाग हैं। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक कार्मिक-संख्या निम्नलिखित है -

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	16*	10
समूह 'ख'	6	4
समूह 'ग'	24	23
समूह 'घ'	7	7
कुल	**53**	**44**

**इसमे 2 नए पद (सहायक निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) एवं सहायक निदेशक (सुरक्षोपाय)) शामिल हैं जिनके लिए भर्ती नियमों का अनुमोदन/अधिसूचना अब तक लम्बित है।*

बोर्ड समय-समय पर लागू अपने भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार आरक्षण नीतियों को लागू कर रहा है। बोर्ड के एक अधिकारी को **अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगों समेत अल्पसंख्यक कर्मचारियों** के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

i) सतर्कता

श्री पी. के. जैन, वित्त एवं लेखा अधिकारी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के तहत 31.10.2019 से सेवा निवृत्त हो गए हैं जिन्हें संगठन का अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया था| सदस्य सचिव द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अंशकालिक सतर्कता अधिकारी का कार्य श्री जगदीश पारवानी, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) देख रहे हैं| अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित मामला मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है| सतर्कता से संबंधित सभी मामलों और मुद्दों का निपटान अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जा रहा है|

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपलोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं संबंधी ब्रोशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, लागू ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक

रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध हैं। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, समेत टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को दर्शाया जाता है।

iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार बोर्ड कार्यालय में 4 जन सूचना अधिकारी और 3 अपीलीय प्राधिकारी स्थित हैं। जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों के ब्यौरे बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकारियों को प्रक्रिया से अवगत कराया गया है और आवेदन प्राप्त करने से लेकर निर्धारित समय के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान करने तक की आंतरिक प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया है| आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए समुचित स्तर पर समय-समय पर आवधिक निगरानी भी की जाती है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि में 78 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया। यह कार्यालय नियमित रूप से आवेदनों का तिमाही एवं वार्षिक ब्यौरा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अपलोड करता है तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाती है।

2. संगठनात्मक संरचना

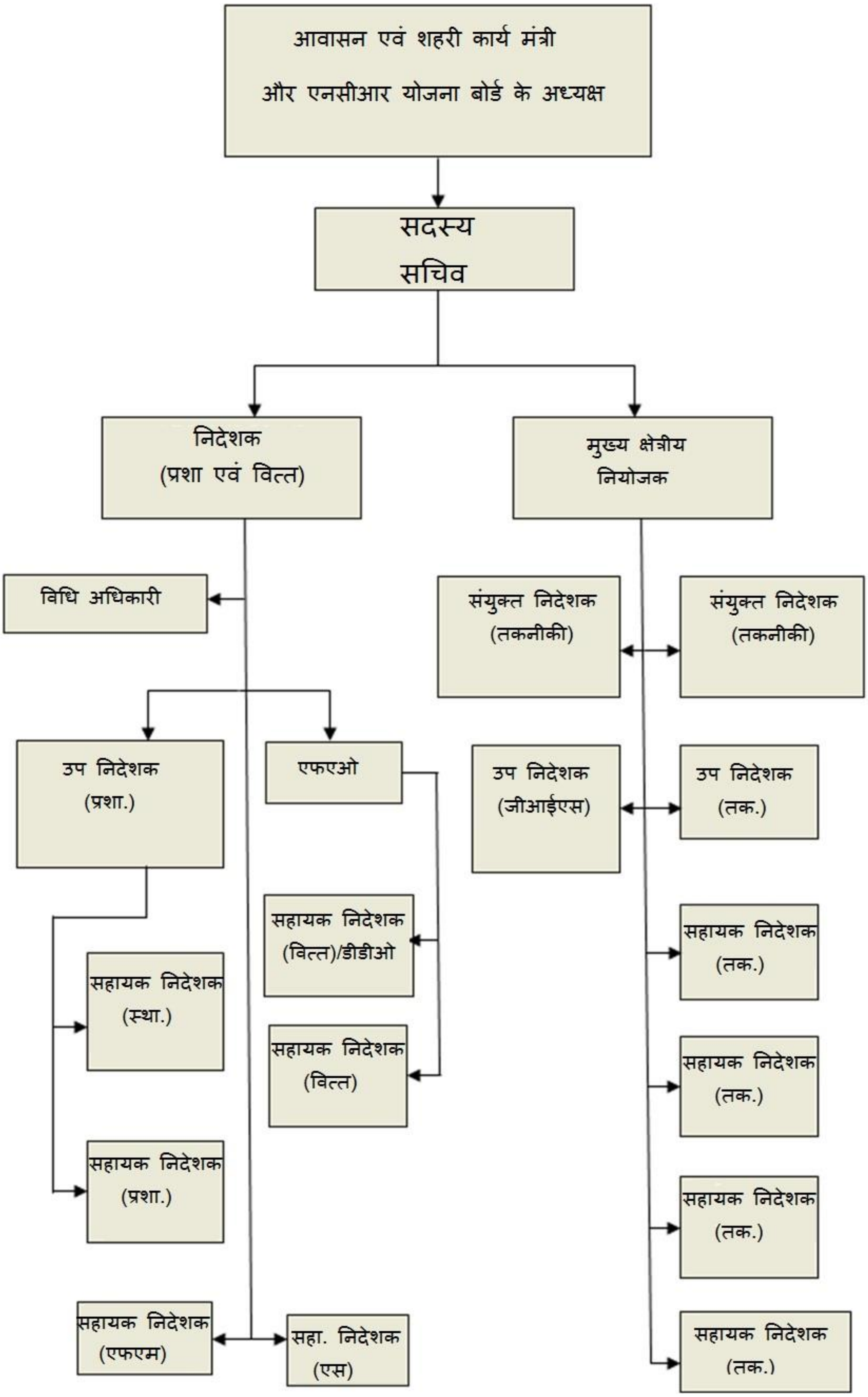

3. संगठनात्मक संरचना जारी...

31.3.2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	सदस्य सचिव
2.	श्री सतीश पाराशर	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
3.	श्री जगदीश परवानी	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
4.	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
5.	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
6.	**पद रिक्त**	विधि अधिकारी
7.	श्री नबील जाफरी	उप निदेशक (तक.-जीआईएस)
8.	श्री हर्ष कालिया श्रीमती शिल्पा विजयवर्गीय	उप निदेशक (प्रशा.)- चिकित्सीय आधार पर अवकाश पर प्रभारी - उप निदेशक (प्रशा.)
9.	श्री रमेश देव	उप निदेशक (तक.- यूआरपी)
10.	श्री अजिताभ सक्सेना	वित्त एवं लेखा अधिकारी
11.	श्री अभिजीत सामंता	उप निदेशक (तक.) **
12.	श्री श्रीमती नीलिमा माझी	उप निदेशक (तक.) **
13.	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
14.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (तक.)
15.	श्री एस.एच. असगर	सहायक निदेशक (वि.प्र.) - पीएमसी/पीएमयू#
16.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (सु.उ.)
17.	श्री सत्यबीर सिंह	सहायक निदेशक (तक.) **
18.	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ
19.	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (प्रशा.)
20.	श्री देवेंद्र कुमार	सहायक निदेशक (वित्त)
21.	**पद रिक्त**	सहायक निदेशक (स्था.)

** भर्ती प्रक्रिया जारी है।*

*** आकलन योजना के तहत प्रदत्त* इन-सिटु पदोन्नति

 # अल्पावधि अनुबंध के आधार पर वर्तमान रूप से अस्थायी पद पर नियुक्त। इन पदों को विनियमित कर दिया गया है और भर्ती विनियमन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।